



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
 (A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फा. सं.: NCST/DEV-4791/DN/12/2025-RU-IV

श्री प्रियंक किशोर,
 कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
 जिला-दादरा और नगर हवेली, सिलवासा,
 कार्यालय जिला कलेक्टर, सिलवासा,
 दादरा और नगर हवेली-396230,
 ई-मेल: collector-dnh@nic.in
 collector-dnh@ddd.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) के समक्ष दिनांक 23.07.2026 को अपराहन 12:00 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष-1, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय को दिनांक 02-04 मार्च, 2025 की अवधि में सिलवासा प्रवास के दौरान जनजाति नागरिकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय का दिनांक 12.03.2025 के निदेश।

संदर्भ 2. आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 28.04.2025 (प्रति संलग्न).

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 13, जुलाई, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

रजिन्दु कान्त

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
 Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

